बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 01 / भू0अ0नि0(3)विविध(संविदा)–16 / 2023.2464... पटना, दिनांक :– 21/07/2026

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 629 दिनांक 23.12.2025 द्वारा सुश्री ज्योति किरण कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN08885) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि इनके द्वारा प्रपत्र–5 का इंट्री कार्य पूर्ण नहीं किया गया है एवं शिविर कार्यालय से लगातार अनाधिकृत अनुपस्थित रहती हैं। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व में भी इनके विरूद्ध शिकायते प्राप्त होती रही है, जिसके संदर्भ में इनसे स्पष्टीकरण करते हुए कार्य के प्रति सजग रहने का निदेश दिया जाता रहा है, परन्तु बार–बार इनका स्पष्टीकरण असंतोषजनक रहा है एवं कार्यकलाप में कोई सुधार नहीं हो पाया है। साथ ही साथ राजस्व महाभियान में लगाए जाने पर ये वहाँ से भी प्रायः अनुपस्थित रही हैं। फलस्वरूप इनके विरूद्ध बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 147 दिनांक 12.01.2026 द्वारा सुश्री ज्योति से 07 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसका प्रतिउत्तर इनके द्वारा समर्पित किया गया। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि वेबसाईट नहीं खुलने एवं सर्वर धीमा रहने के कारण इंट्री का कार्य धीमा हुआ है। साथ ही शिविर प्रभारी पर मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है।

समर्पित स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य पर स्पष्ट मंतव्य सहित अनुशंसा की मांग निदेशालय पत्रांक 1112 दिनांक 02.04.2026 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से की गयी। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 348 दिनांक 20.05.2026 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सुश्री ज्योति द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह से निराधार एवं तथ्यों से पड़े है। पुनः नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन / मंतव्य एवं सुश्री ज्योति द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा संचिका में रक्षित उपस्थिति विवरणी एवं अमीन डायरी प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया है। R2R सॉफ्टवेयर में उपलब्ध सुश्री ज्योति की उपस्थिति विवरणी एवं अमीन डायरी से परिलक्षित हुआ है कि इनके द्वारा फरवरी, 2025 से जून, 2026 तक मात्र 61 दिन ही अपनी उपस्थिति दर्ज की गयी है एवं दिनांक 06.02.2025 के पश्चात् इनके द्वारा कोई भी प्रविष्टि अमीन डायरी में नहीं की गयी है। इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उपस्थिति दर्ज नहीं करने देने का आरोप लगाया गया है, परन्तु R2R सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज की जाती है। चूंकि इनके नियंत्री पदाधिकारी बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, जिनके द्वारा स्पष्टीकरण को निराधार एवं तथ्य से परे बताया है, जो प्रदर्शित साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो रहा है। स्पष्ट है कि मात्र आरोपो से बचने एवं संविदा में बने रहने के उद्देश्य से इनके द्वारा आरोप–प्रत्यारोप लगाकार दिग्भ्रमित किया जा रहा है।

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से विशेष सर्वेक्षण कर्मी भी अवगत हैं, इसके बावजूद इनका लगभग डेढ़ वर्षो में मात्र 61 दिन उपस्थिति दर्ज किया जाना इनके कार्यकलाप को स्वतः परिलक्षित करता है। यदि इन्हें संविदा में बनाए रखा जाता है, तो इसका प्रभाव अन्य सर्वेक्षण कर्मियों पर पड़ सकता है, इसके

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन/मंतव्य एवं अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4) के तहत सुश्री ज्योति किरण कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN08885) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

Suharsh 20/07/26

(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(3)विविध(संविदा)–16/2023.....2463..... **पटना, दिनांक :–** 21/07/2026

प्रतिलिपि :– सुश्री ज्योति किरण कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN08885), बंदोबस्त कार्यालय, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

Suharsh 20/07/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(3)विविध(संविदा)–16/2023.....2463..... **पटना, दिनांक :–** 21/07/2026

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Suharsh 20/07/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(3)विविध(संविदा)–16/2023.....2463..... **पटना, दिनांक :–** 21/07/2026

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Suharsh 20/07/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप